झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

संख्या–01/नीति निर्धारण–02/2018 न0वि0आ0...601........ राँची, दि0–29/01/18

झारखण्ड नगरपालिका यातायात प्रबंधन विनियमावली, 2017 के नियम–4 में अंकित प्रावधान के आलोक में पार्किंग से संबंधित अवयवों के प्रबंधन एवं क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय पार्किंग अनुश्रवण समिति का गठन किया जाता है।

2. राज्य स्तरीय पार्किंग अनुश्रवण समिति की संरचना निम्न प्रकार होंगी :–

(i) प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग– अध्यक्ष,

(ii) प्रधान सचिव/सचिव, परिवहन विभाग अथवा उनके द्वारा मनोनीत उप सचिव से अन्यून स्तर के प्रतिनिधि– सदस्य,

(iii) प्रधान सचिव/सचिव, गृह विभाग अथवा उनके द्वारा मनोनीत उप सचिव से अन्यून स्तर के प्रतिनिधि सदस्य,

(iv) नगर विकास एवं आवास विभाग के उप सचिव से अन्यून स्तर के पदाधिकारी सदस्य सचिव।

3. राज्य स्तरीय पार्किंग अनुश्रवण समिति द्वारा झारखण्ड नगरपालिका यातायात प्रबंधन विनियमावली, 2017 के नियम–4.2 में विनिर्दिष्ट निम्नवर्णित दायित्वों का निर्वहन किया जाएगा :–

4.2.1 शहरी स्थानीय निकायों के द्वारा निर्धारित पार्किंग दर की आवश्यकतानुसार समीक्षा,

4.2.2 निकाय में गठित नगरपालिका मार्ग तकनीकी समिति से संबंधित किसी विवाद का निपटारा,

4.2.3 शहरी स्थानीय निकायों में पार्किंग से संबंधित दिशा–निर्देश निर्गत करना।

4. प्रत्येक 3 (तीन) माह पर इस समिति की बैठक आयोजित की जाएगी।

5. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

29.1.18

(अरुण कुमार सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– 01/नीति निर्धारण–02/2018 न0वि0आ0...601........ राँची,दि0–29/01/18

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचना एवं राजकीय गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29.1.18

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– 01/नीति निर्धारण–02/2018 न0वि0आ0...601........ राँची,दि0–29/01/18

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय/निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण/नगर निवेशक, नगर निवेशन संगठन/प्रबंध निदेशक, जुडको लिमिटेड, राँची/सभी शहरी स्थानीय निकाय/सभी निर्वाचित प्रतिनिधि (महापौर, उपमहापौर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा वार्ड पार्षद), झारखण्ड/नगर विकास एवं आवास विभाग के सभी राजपत्रित पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29.1.18

सरकार के प्रधान सचिव।

rk-udd_adhisuchana-138